

19.10.2023-पत्रावली पेशी मे आई। वकील प्रार्थी उपस्थित नही आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक क्लर्क  
एवं उपखण्डधिकारी  
हनुमानगढ